प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक 30जून, 2016**

विषयः- नवसृजित जनपद कासगंज में विकास भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-56/बजट/सामु0वि0/2016-17,दिनांक 15 जून, 2016 एवं मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज के पत्रांक 114/जि0ले0/वि0भ0/2014-15 दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-सा0-232/38-2-2014-3बी/2013, दिनांक 29 मार्च, 2014, शासनादेश संख्या-सा0-15/38-2-2015-3बी/2013 दिनांक 15 जनवरी, 2015, शासनादेश संख्या-384/38-2-2015-3बी/2013, दिनांक 26 जून, 2015 एवं शासनादेश संख्या-सा0-95/38-2-2016-3बी/2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नवसृजित जनपद कासगंज में विकास भवन के निर्माण हेतु अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में रू0 70,74,000/- (रूपये सत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगी, जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 29-3-2014, 15-01-2015, 26 जून, 2015, 21 मार्च, 2016 एवं इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(7) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(8) परियोजना में 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 58.22 लाख को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-13 (च) में दिये गये व्यवस्थानुसार इस शर्त के साथ रोकी जाती है कि उक्त परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर तत्समय शासन द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ऐप्रभात कुमार श्रीवास्तवऐ
संयुक्त सचिव।

**संख्या-12/2016/सा0-351(1)/38-2-2016 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, कासगंज।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कासगंज।
5- कोषाधिकारी, कासगंज।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कासगंज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, अशोक नगर कासगंज।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in